

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र-	उत्तराखण्ड राज्य
ii) जिला-	देहरादून
iii) वन प्रभाग-	चकराता वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)-	0.4025
v) वन की कानूनी स्थिति-	सिविल एवं सोयम भूमि
vi) हरियाली का घनत्व-	0.1 से कम
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 सी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए-	संलग्न।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।-	भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी-	5 किमी0
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)-	नहीं।
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिज्जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।-	नहीं।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वापूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या-	नहीं।
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।-	हां प्रभावित भूमि न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दांशी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य दांशी भी चह रहे हैं।-	नहीं।
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-	
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित	

वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-
पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों
की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,
प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।-

संलग्न है।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित
वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-
पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण,
कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत
ढाचा आदि।-

संलग्न है।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल
वित्तीय परिचय।-

$0.4025 \times 2 = 0.805 @ 130000 = 104650.00$

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित
क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय
दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित
किया जाए)।-

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः
उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये
तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।-

30989 किमी²

21169 किमी²

i. जिला का वन क्षेत्र।-

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से
वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल
प्रतिकूल वनीकरण-

359.386 है०

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित
वन भूमि-

685 है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर
..... तक प्रतिपूरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

435 है०

(क) वन भूमि पर-

(ख) वनेत्तर भूमि पर-

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।-

प्रश्नगत मार्ग लो०नि०वि० शासन स्तर में स्वीकृति
है। ग्राम मैसासा के स्थानीय ग्रामवासियों को यातायात
वांछित तथा अपनी कृषि उपज को बाजार तक लाने
व ले जाने हेतु उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने की
संस्तुति की गई है।

राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत
प्रस्ताव के अन्तर्गत 2,00,000 = 2,00,000
रु० दिनांक 10/04/2014

दिनांक-05.04.2014

स्थान-चकराता

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
अवधी

प्रभागीय वन संरक्षक
चकराता वन प्रभाग
सरकारी मोहर
चकराता दिहरादून।